



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या: **F95604**

सी-१/एन०ओ०सी०/जी०३३/२०१२

दिनांक: **27/2/12**

सेवा में,

श्री० प्रो० ए० ए० सी० ए० ए० सी० प्रो० लि०,
८ सी, इन्स्टीट्यूट, १५ बडाखम्हा रोड,
नई दिल्ली-०१

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से / नई इकाई की स्थापना हेतु / कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में
विस्तार / संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक **२२/२/१२** को संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सहाई अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

न. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है -

(क) स्थल: जयप्रिय संतुलन ग्रीन इन्टीग्रेटेड टैक्नोलॉजी
परिखेजना, एन०एच०-२४, ग्राम सहस्र बमहदा,
गोबिन्दगढ़

(ख) उत्पादन: फूलण्ड क्षेत्रफल-१४०४०.५० वर्गमीटर में ३६९९ फ्लेट की आवासीय कॉलोनी,
२३२९ आवासीय लाट, कम्युनिटी सेंटर, इन्स्टीट्यूट एरिया की स्थापना

(कुल स्वरण क्षेत्रफल = १४० एकर)

(घ) औद्योगिक उत्प्रेषण की मात्रा :

(ङ) प्रयुक्त ईंधन : डी०जी० सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक संयंत्र, संयंत्र, हरित पदिका, उत्प्रेषण शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह त्रि दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धीकरण संयंत्र तथा निमाण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्राप्ति इस कार्यालय में दिनांक ३०/६/२०१३ तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

- 8- मैसर्स एस०एम०वी० एजेन्सी प्रा० लि० द्वारा जयपुरिया सनराइज ग्रीन इन्टीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना एन०एच०-२४, ग्राम शाहपुर बगहेटा, गाजियाबाद द्वारा कुल भूखण्ड क्षेत्रफल १८० एकड़ में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना की स्थापना की जाये।
- 9- संस्था द्वारा परियोजना से जनित कुल घरेलू उत्प्राव २६६६ घनमीटर/दिन हेतु कुल १५०० घनमीटर/दिन क्षमता के ३, कुल ४५०० घनमीटर/दिन क्षमता के एस०टी०पी० की स्थापना की जाये तथा शुद्धीकृत उत्प्राव को यथासंगत सिंचाई, फलशिंग एवं डी०जी० सेट कूलिंग हेतु प्रयुक्त किया जाये। शेष शुद्धीकृत उत्प्राव को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सीवर लाइन/अंतिम निस्तारण बिन्दु तक स्वयं की पाइप लाइन द्वारा इस प्रकार निस्तारित किया जाये कि जल भराव की समस्या न रहे।
- 10- संस्था द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रबन्धन बायोकम्पास्टिंग एवं रिसाइकलिंग द्वारा प्रस्तावों के अनुसरण किया जाये।
- 11- संस्था प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोकक व्यवस्थाओं के साथ-साथ बोर्ड मानकों के अनुसार पर्याप्त कैंचाई की चिमनी भी स्थापित की जायें।
- 12- संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।
- 13- संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।
- 14- संस्था को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, १९७४ एवं वायु अधिनियम, १९८६ के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।
- 15- संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीरेन्स प्राप्त किया जाये।
- 16- संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की वशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जायेगी एवं अधिनियमों के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 17- अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता ५ वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष पूर्व तक जो कम हो मान्य होगी।

द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30/6/2012 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए।
अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य-सचिव

पृष्ठांकन सं.

/एन. ओ. सी.

तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गजियबाद
2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गजियबाद
- 4.

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल- 2)